



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2288

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18604 वर्ष 2025

सुमित शर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	: हेमंत कुमार, पीयूष पांडे
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमंत कुमार ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी आक्षेपित आदेश/पत्र दिनांक 12.09.2025 को मामले के अभिलेख मंगाकर रद्द करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश की मांग की गई है और प्रतिवादी प्राधिकारियों को उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो कैडर - सीधी भर्ती 2022 के रिक्त पद पर सहायक ऑपरेटर के पद के लिए लिखित परीक्षा में सभी पाली के लिए लिखित परीक्षा के विस्तृत अंक, रद्द किए गए और संशोधित प्रश्न अंक और सभी सामान्यीकरण संबंधी अंक, जो प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा दिए गए, को प्रकट करने का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें और आगे प्रतिवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता को चयनित घोषित करने और उसे प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति देने और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो कैडर - सीधी भर्ती 2022 के रिक्त पद पर सहायक ऑपरेटर के पद पर अंतर्निहित दोष के कारण नियमित वेतन दिए जाने का निर्देश देने के लिए, नए सिरे से आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ, परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

7 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।